न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री मासिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 181/2025

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. मोहनलाल पुत्र भानाराम जाति सीरवी निवासी मेला का चौक, सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

1. **श्री गोविन्द प्रसाद अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित**
2. **तहसीलदार सोजत स्वयं उपस्थित।**

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

–: निर्णय :– दिनांक –20/08/2025

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी भदावता, प0ह0 खारिया सोढा, भू–अ0नि0 क्षेत्र सोजत रोड़ तह0 सोजत में प्रार्थी व अन्य सहखातेदार की कृषि भूमि खाता सं0 65 के ख0नं0 250 रकबा 2.2000 है0 में प्रार्थी का माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भुमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भानाराम अंकित है, जबकि प्रार्थी के संपुर्ण दस्तावेजात आधार कार्ड, पेन कार्ड, बैंक डायरी इत्यादि में नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम अंकित हैं। प्रार्थी को घर परिवार में सोहनलाल कहकर भी पुकारते थे, परन्तुत प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम ही हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा पेन ऑफ मेस्टेक से बिना प्रार्थी का वास्तविक नाम जाने प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम की जगह सोहनलाल पुत्र भानाराम अंकित कर दिया जो कि पेन ऑफ मिस्टेक से हुई त्रुटि हैं। इसलिये वादग्रस्त कृषि भूमि के प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भानाराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र भानाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर पैरा सं0 1 में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा बासनी भदावता में स्थित होना, पैरा सं0 2 से 3 का जबाब प्रार्थी स्वयं न्यायालय में साक्ष्य सबूत पेश कर साबित करना तथा पैरा सं0 4 से 5 का कानूनी होना अंकित किया हैं।

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

वादग्रस्त कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की वस्तुस्थिति हेतु तहसीलदार सोजत को लिखा जाने पर तहसीलदार सोजत द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/2025/1223 दिनांक 18.08.2025 के जरिये प्रस्तुत कर पटवारी हल्कानुसार वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी अनुसार सरहद मौजा बासनी भदावता के ख0नं0 250 रकबा 2.20 है0 हिस्सा 1/4 में खातेदार सोहनलाल पुत्र भानाराम कौम सीरवी के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। सोहनलाल का वास्तविक नाम मोहनलाल है, प्रार्थी के दस्तोवज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशन कार्ड में भी मोहनलाल पुत्र भानाराम दर्ज हैं। प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम किये जाने की अनुशंषा की जाती हैं, की रिपोर्ट पेश की, जो सा0मि0 हैं।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम सोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश पारित फरमाये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत मय हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रार्थी का वास्तविक नाम मोहनलाल होने से सोहनलाल के स्थान पर मोहनलाल किये जाने की अनुशंषा सहित रिपोर्ट पेश की। प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड सं0 7823 6463 4494, पैन कार्ड सं0 ADOPL2174K इत्यादि में भी प्रार्थी का नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम दर्ज हैं। अतः इन सभी तथ्यों के आधार पर प्रार्थी का वास्तविक व दस्तावेजी नाम मोहनलाल पुत्र भानाराम होने की संपुष्टि होती हैं। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भानाराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र भानाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाना उचित समझते हैं।

उप खण्ड अधिकारी सोजत, जिला-पाली (राज.)

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम सोहनलाल पुत्र भानाराम के स्थान पर मोहनलाल पुत्र भानाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्ती किया जाने का आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है, तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 20/08/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

उप खण्ड अधिकारी
सोजत, जिला-पाली (राज.)